राजस्व वाद संख्या 142/2024
नेनाराम/तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 142/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/411

वादी बनाम प्रतिवादी

नेनाराम दतक पुत्र लालाराम
जाति कलबी,चौधरी
निवासी रेवाड़ा जेतमाल
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 07.07.2025

1.संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 362/231 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर वादी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी लालाराम का दतकपुत्र है,लालाराम के फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा विरासत नामान्तकरण खोलते समय वादी का वास्तविक नाम नेनाराम के स्थान पर अशुद्व नाम नेमाराम दर्ज कर दिया गया,जबकि अन्य सहखातेदारी भूमि मे वादी का सही नाम नेनाराम दर्ज हो रखा है। विवादित आराजी में अशुद्व नाम की प्रविष्टि होने के कारण वादी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है,जिसके कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी में दायर अशुद्व प्रविष्टि नेमाराम दतक पुत्र लालाराम के स्थान पर सही नाम नेनाराम दतक पुत्र लालाराम दुरूस्त करवानें हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

2.वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी उपस्थित नही रहे।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 362/231 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर वादी का

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी लालाराम का दतकपुत्र है,लालाराम के फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा विरासत नामान्तकरण खोलते समय वादी का वास्तविक नाम नेनाराम के स्थान पर अशुद्व नाम नेमाराम दर्ज कर दिया गया,जबकि अन्य सहखातेदारी भूमि मे वादी का सही नाम नेनाराम दर्ज हो रखा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और निवेदन किया कि प्रतिवादी तहसीलदार पचपदरा ने भी अपने जवाब मे स्वीकार किया है कि वादी का वादग्रस्त भूमि मे गलत नाम की प्रविष्टि हो रखी है। अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी का अशद्व नाम नेमाराम के स्थान पर नेनाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश किए जावें।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 362/231 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जिसमे वादी का नाम नेमाराम दतक पुत्र लालाराम दर्ज है,जबकि वादी की अन्य सहखातेदारी भूमि इसी ग्राम की खसरा संख्या 91 मे वादी का नाम नेनाराम दतक पुत्र लालाराम दर्ज है। वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड,बैक डायरी,राशनकार्ड,जन आधार कार्ड मे वादी का नाम नेनाराम अंकन है। इससे साबित होता है कि वादी का वास्तविक नाम नेनाराम है तथा वादी का वादग्रस्त भूमि मे गलत नाम नेमाराम दर्ज हो रखा है,जो कि वादी दुरूस्ती करवाने का हकदार है। प्रतिवादी तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपने जवाब मे स्वीकार किया है कि वादी का वास्तविक नाम नेनाराम दतक पुत्र लालाराम है तथा नेमाराम व नेनाराम दोनो एक ही व्यक्ति है। वादी का पंजीबद्व गोदनामा दिनांक 11.9.2001 मे भी नेनाराम नाम अंकन है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा वादी का नाम नेनाराम दुरूस्ती किए जाने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी का विवादित आराजी में अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखा है,जो कि वादी की ओर से अपने दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो से साबित भी किया है। इस प्रकार वादी अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादी वादग्रस्त भूमि में अपना अशुद्व नाम दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णयः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 362/231 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि नेमाराम दतक पुत्र लालाराम के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि नेनाराम दतक पुत्र लालाराम दुरूस्त किए जाने के

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

07/07/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

07/07/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.)

राजस्व वाद संख्या 142/2024
नेनाराम/तहसीलदार पचपदरा

डिक्री पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 142/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/411

वादी	बनाम	प्रतिवादी
नेनाराम दतक पुत्र लालाराम जाति कलबी,चौधरी निवासी रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 142/2024

निर्णय दिनांक :–07.7.2025

वादी की ओर से श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 07.7.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–रेवाड़ा जेतमाल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 362/231 क्षेत्रफल 2.1610 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में वादी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि नेमाराम दतक पुत्र लालाराम के स्थान पर सही नाम प्रविष्टि नेनाराम दतक पुत्र लालाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।
यह आज तारीख 07.7.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	––	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	––––––
जोड़	––	जोड़	–––––

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा